

सं०सं०-1/प्र०नर्स-03/2017- 49(1) व 0
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
प्रभावती अस्पताल,
गया।

पटना, दिनांक- 10 / 10 / 2017

विषय:- प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 52,62,000/- (रुपये बावन लाख बासठ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत प्रशिक्षण नर्स को विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 52,62,000/- (रुपये बावन लाख बासठ हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।


2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2) दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प संख्या-2190/वि०(2) दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105-एलोपैथी-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।


6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।



क्रमशः

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /



(सच्चिदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/प्र0नर्स-03/2017-49(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक- 10 / 10 /2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव


ए0एन0एम0 स्कूल प्रभावती अस्पताल, गया को वित्तीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त आवंटन
विवरणी, विपत्र कोड-20-2210051050012

प्राथमिक ईकाई	संयुक्त बजट उपबंध	पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन	प्रभावती अस्पताल, गया को वर्तमान आवंटन	कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6
0012.01.01 वेतन	22712000	18400000	2250000	20650000	2062000
0012.01.03 जीवन यापन भत्ता	29752000	21445000	2612000	24057000	5695000
0012.01.04 मकान किराया भत्ता	4456000	2830000	300000	3130000	1326000
0012.01.05 परिवहन भत्ता	710000	547000	50000	597000	113000
0012.01.06 चिकित्सा भत्ता	210000	166000	25000	191000	19000
0012.01.07 अन्य भत्ता	120000	82000	25000	107000	13000
योग- वेतन एवं भत्ते	57960000	43470000	5262000	48732000	9228000

(रुपये बावन लाख बासठ हजार)

49 (1) 90

10-10-17



सरकार के विशेष सचिव